डिस्क्लेमर

अंतरिम आदेश संख्या 13/2021-22 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 13/2021-22

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

जारी करने की तारीख: 01 सितम्बर, 2021

सेवा : ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं
सेवा प्रदाता : जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीबीएएस)
हवाईअड्डा: चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीएसआईए), लखनऊ

मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीबीएएस) द्वारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय (सीसीएसआई) हवाईअड्डा, लखनऊ में 01.09.2021 से 31.12.2021 तक चार माह की अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ के मामले में

20.03.2021 को सम्मिलित मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीबीएएस), विशेष प्रयोजन माध्यम को अदानी लखनऊ इंटरनेशल एयरपोर्ट लिमिटेड (हवाईअड्डा प्रचालक) द्वारा दिनांक 26.07.2021 के रियायत करार द्वारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीएसआईए), लखनऊ में 01 अप्रैल, 2021 से पांच (05) वर्ष की अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। हस्ताक्षरित करार की प्रति प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई है।

2. मैसर्स एएलआईएएल ने बीसीएएस की अनुमति प्राप्त कर प्रमुख कॉन्सोर्टियम सदस्य, मैसर्स बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (बीडब्ल्यूएफएस) को रियायतग्राही जीएसईसी बर्ड के सुरक्षा अनुमति प्राप्त करने और प्रचालन प्रारंभ होने तक अंतरिम अवधि में आवश्यक ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रचालित करने के लिए प्राधिकृत किया है (संदर्भ: दिनांक 30.04.2021 का एलओआई संख्या एएलआईएएल/सीओएमएम/जीएचएस/बीडब्ल्यूएफएस/02/)।

3. इस संबंध में प्राधिकरण ने मैसर्स बीडब्ल्यूएफएस को सीसीएसआईए, लखनऊ में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (पहले एआईएटीएसएल-देखें: दिनांक 14.02.2020 का आदेश संख्या 23/2019-20 और दिनांक 25.03.2021 का अंतरिम आदेश संख्या 67/2020-21) नामक अन्य ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता के लिए यथा अनुमोदित मौजूदा टैरिफ 01.07.2021 से 31.12.2021 तक या मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसपीवी) द्वारा प्रचालन प्रारंभ किए जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर, प्रभार वसूल करने की अनुमति देते हुए दिनांक 30.06.2021 का अंतरिम आदेश संख्या 03/2021-22 जारी किया है।

प्राधिकरण ने पूर्वोक्त अंतरिम आदेश में यह भी कहा है कि यदि मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स जीबीएएस), अपनी नियमित टैरिफ के अनुमोदन से पूर्व प्रचालन प्रारंभ कर देती है तो उन्हें ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालन प्रारंभ करने से पूर्व तदर्थ दरों का अनुमोदन लेना होगा।

4. मैसर्स जीबीएएस ने बीसीएएस की पांच (05) वर्ष की अवधि की वैध अनुमति (दिनांक 09.08.2021 का सीएएस/एएमडी/2020/ प्रभाग-I/जीएसईसी बर्ड-ई–198691) की प्रति प्रस्तुत कर दी है। मैसर्स एआईएएल ने दिनांक 27.08.2021 के पत्र संख्या एएलआईएएल/सीओएमएम/वित्त वर्ष 2021-22/जीबीएएस/0499 द्वारा मैसर्स जीबीएएस (एसपीवी) को सीएसएसआईए, लखनऊ में मैसर्स बीडब्ल्यूएफएस के स्थान पर 01 सितम्बर, 2021 से ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रारंभ करने का प्राधिकार दिया है।

5. मैसर्स जीबीएएस (एसपीवी) ने प्राधिकरण से संपर्क कर कहा है कि उन्हें उनकी नियमित ग्राउंड हैंडलिंग टैरिफ का निर्धारण होने तक आदेश संख्या 03/2021-22 द्वारा मैसर्स बीडब्ल्यूएफएस इंडिया लखनऊ के लिए स्वीकृत समान दरों के लिए अनुमति दी जाए। प्राधिकरण ने नोट किया कि मैसर्स जीबीएएस (एसपीवी) ने वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (एटीपी) के साथ-साथ अपनी पहली नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 09 जून, 2021 को अपना एमवाईटीपी पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

6. प्राधिकरण ने ऊपर उल्लिखित अनुरोध की जांच कर ली है और आदेश संख्या 03/2021-22 द्वारा मैसर्स जीबीएएस (एसपीवी) के लिए 01.09.2021 से 31.12.2021 तक की चार (04) माह की अवधि के लिए या एसपीवी के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए नियमित ग्राउंड हैंडलिंग टैरिफ का निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सीसीएसआईए, लखनऊ में मैसर्स बीडब्ल्यूएफएस इंडिया के लिए यथानुमोदित समान अंतरिम ग्रांउड हैंडलिंग टैरिफ की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

<u>आदेश</u>

5. रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा आदेश देता है कि:-

(i) मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसपीवी) को दिनांक 30.06.2021 के अंतरिम आदेश संख्या 03/2021-22 के अनुसार चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा **(**सीसीएसआईए**)**, लखनऊ में 01.09.2021 से 31.12.2021 तक की चार (04) माह की अवधि या उनकी प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए नियमित ग्राउंड हैंडलिंग टैरिफ का निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, ग्राउंड हैंडलिंग प्रभार वसूल करने की अनुमति दी जाती है। टैरिफ कार्ड संलग्नक **-I** में दिया गया।

(ii) मैसर्स जीबीएएस द्वारा नॉन शेड्यूल प्रचालनों के लिए वसूली गई टैरिफ ऐरा द्वारा 'समान श्रेणी के विमान' के शेड्यूल्ड प्रचालनों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ ग्राउंड हैंडलिंग सेवा के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री गौरव भाटिया,
निदेशक
जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीबीएएस),
ई-9, कनॉट हाऊस, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली-110001

प्रतिलिपि:

(i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003
(ii) श्री सुरेश चन्द्र होता, मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी, अदानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एएलआईएएल); प्रथम तल, टर्मिनल-1, सीसीएस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ, लखनऊ-226009